

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जनवरी 2016—पौष 16, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2016

क्र. एफ 1-1-2016-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि तक या अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कॉलम (4) में शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत" के स्थान पर, शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत" स्थापित किया जाये.

NOTICE

No. F-1-1-2016-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of Services) Rules, 2008, which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 53 read with sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh

Panchayati Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by subsection (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-I, against serial number 3, in column (4), for the words "Chief Executive Officer, Janpad Panchayat", the words "Chief Executive Officer, Zila Panchayat" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.